

सम्पादकीय

जम्मू-कश्मीर परिस्थिति पर सवाल

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 और अनुच्छेद-35 ए की वापसी के साथ ही राज्य को दो हिस्सों में बांटने का फैसला 5 अगस्त, 2019 को मोदी सरकार ने लिया था। दावा था कि इससे राज्य में विकास के नए द्वारा खुलेंगे, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होगी, आतंकवाद पर रोक लगेगी। लेकिन लगभग ढाई साल बाद भी इस अनुठे प्रदेश में हालात सामान्य नहीं हुए हैं। लद्दाख तो अलग हो ही गया, वहां की अपनी चिंताएं हैं। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में भी जनजीवन सामान्य नहीं हो पाया है। न आतंकवाद को खत्म किया जा सका, न कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हुई और अब तो इस राज्य में पिछले दरवाजे से आकर विभाजनकारी खेल खेलने की कोशिश हो रही है। भाजपा परिसीमन के बहाने जम्मू-कश्मीर में अपना राजनीतिक एजेंडा यानी हिंदू बहुल वोटों को अपने पक्ष में करने के पैतरे चल रही है, ऐसा आरोपित विभिन्न राजनीतिक दल लगा रहे हैं। दरअसल इस सोमवार दिल्ली में परिसीमन आयोग की बैठक हुई। बैठक में जम्मू क्षेत्र में छह नई सीटें और कश्मीर घाटी के लिए एक नई सीट जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कम से कम 16 सीटें आरक्षित रहेंगी। इस प्रस्ताव के अमल में आने के बाद 83 सीटों वाली जम्मू-कश्मीर विधानसभा में जम्मू क्षेत्र की सीटें 37 से बढ़कर 43 और कश्मीर घाटी की सीटें 46 से बढ़कर 47 हो जाएंगी। अनुसूचित जाति और जनजाति मुख्य रूप से जम्मू में हैं और इसका मतलब यह हुआ कि जम्मू को लगभग 60 सीटें मिलेंगी। इसके पूर्व जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कुल 87 सीटें थीं जिनमें लद्दाख की चार सीटें शामिल थीं लेकिन अगस्त 2019 के पुणर्गठन विधेयक के बाद लद्दाख को अलग कर दिया गया था। गौरतलब है कि भारत में परिसीमन आयोग का गठन पहली बार 1952 में किया गया। यह आजादी के बाद का दौर था, कई भारतीय रियासतें खत्म हुई थीं और एक नए लोकतंत्र का भारत में उदय हुआ था। जिसमें सरकार के सामने यह चुनौती थी कि सभी जाति, धर्म, वर्ग और समुदायों की एक समान भागीदारी लोकतंत्र में रहे। अलग-अलग भौगोलिक इलाकों में रहने वाले नागरिकों को निर्वाचन की प्रक्रिया में बराबरी का हक मिले और उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिले, इस लिहाज से भी परिसीमन का खास महत्व है। इसलिए 1952 के बाद 1963, 1972 और फिर 2002 में परिसीमन आयोग बने। संविधान के अनुच्छेद-81 के अनुसार, लोकसभा के संयोजन में आबादी में होने वाले बदलाव नजर आने चाहिए। हालांकि 1976 में जो परिसीमन किया गया था, उसका आधार 1971 की जनगणना थी, और उस समय सीटों की संख्या कमबोधे पहले जैसी ही थी।

राज्य की सीटों की संख्या और आबादी का अनुपात सभी राज्यों में लगभग एक सा होना चाहिए। ऐसे इसलिए किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो कि हर राज्य को एक बराबर प्रतिनिधित्व मिले। और 60 लाख से कम आबादी वाले छोटे राज्यों को इस नियम से छूट दी जाती है। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कम से कम एक सीट आर्बाटिट है, भले ही उसकी जनसंख्या कितनी भी हो। उदाहरण के लिए लक्ष्मीपुर की आबादी एक लाख से कम है लेकिन संसद में वहां से एक लोकसभा सांसद है। दक्षिण के राज्यों में आबादी नियंत्रित है, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें कम सीटें न मिलें, 2001 तक वहां परिसीमन का काम इस आधार पर रोक दिया गया कि देश में 2026 तक आबादी की एक समान वृद्धि दर हासिल कर ली जाएगी। लेकिन पिछले साल केंद्र सरकार ने खास जम्मू-कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया और उसके बाद आयोग ने जम्मू और कश्मीर के तमाम राजनीतिक दलों के साथ बैठकें कीं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इस पूरी प्रक्रिया पर ही संदेह जताया था और इन बैठकों में भाजपा सरकार के अनुच्छेद-370 को रद्द करने का मुद्दा उठाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया था कि जब देश में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को साल 2026 तक के लिए रोक दिया गया तो जम्मू और कश्मीर में अभी ऐसा क्यों हो रहा है। वहां पीड़ीपी ने तो परिसीमन आयोग के साथ बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। महबूबा मुफ्ती का तर्क था कि केंद्र सरकार ने आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोई \$ कदम नहीं उठाया है। उन्होंने परिसीमन की प्रक्रिया के नतीजों को व्यापक तौर पर पहले से तय बताया था। परिसीमन से ऐतराज जताने वाले राजनीतिक दलों ने आशंका जताते हुए कहा है कि यह परिसीमन आयोग जम्मू-कश्मीर के मुस्लिम बहुमत के फिखलाफ काम करेगा और उन्हें राजनीतिक तौर पर अल्पसंख्यक में बदल देगा। पिछले साल पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता में दिल्ली स्थित ग्रुप ऑफ कन्सन्ड सिटिजन्स ने परिसीमन आयोग को एक ज्ञापन सौंपा था। इसमें कहा गया कि 2011 में हुई जनगणना का संदर्भ लेते हुए परिसीमन किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार परिसीमन के उद्देश्यों की जगह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में लगी है। कश्मीर के मुकाबले जम्मू की सीटें बढ़ाकर हिंदू बहुल आबादी का फायदा भाजपा अपने लिए उठाना चाहती है।

2022 के लिए कुछ आर्थिक प्राथमिकताएं

अजीत राना

टीका लगाए गए लोगों का एक बड़ा और बढ़ता हिस्सा है। सामूहिक प्रतिरक्षा का एक मिश्रित व उच्च स्तर है, मासिक जैसे प्रोटोकॉल व बेहतर अमल है, लॉकडाउन प्रतिबंधों के माइक्रो-मैनेजिंग की बेहतर समझ और अत में शायद यह अनिच्छापूर्ण स्वीकृति है कि जीवन चलने की जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह अनुमान है कि (शायद) कोविड-19 का यह वेरिएंट अत्यधिक संक्रामक है लेकिन उतना घातक नहीं है बेशक इन तर्कों का मतलब यह नहीं है कि हम लापरवाही भरतें। अन्य नकारात्मक पहलू अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में, विशेष रूप

गहन संपर्क क्षेत्रों (जैसे सड़क किनारे विक्रेताओं, किराना दुकानों, मॉर्टगेज श्रमिकों) में संकट हैं। जैसा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम की बढ़ी हुई मांग से प्रकट होता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी काफी दबाव में है। अपेक्षित बंपर फसल के बावजूद अनाज के दाम कम हैं इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग वज्र जा रही है। इधर मुख्य रूप से खाद्य तेलों (मोटे तोर पर आयातित), दूध और पोल्ट्री जैसे प्रोटीन आइटम के कारण खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ रही है ग्रामीण बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है इसलिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(एनआरईजीएस) के तहत रोजगार की मांग की जा रही है उधर ग्रामीण मजदूरी में ठहराव आ रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी (सीएमआई) और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने आंकड़े बताते हैं कि भारत की श्रम भागीदारी दर (एलपीआर) एशिया सबसे कम, केवल 40 प्रतिशत है। यह 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के बीच के लोगों का अनुपात है जिनके पास नौकरी है या जो नौकरी की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि बांगलादेश में यह 53, पाकिस्तान में 48 और नेपाल में 74 फीसदी है। क्या भारत का कम अनुपात इस बात का उजागर कर रहा है कि श्रमिकों ने होतोत्साहित होकर नौकरी पाने का उमीदें भी छोड़ दी हैं समकक्ष देशों की तुलना में भारत की महिला श्रमिकों भी छोड़ दी हैं समकक्ष देशों की तुलना में भारत की महिला श्रमिकों भी छोड़ दी हैं समकक्ष देशों की तुलना में भारत की काप समय से चिंता का कारण बनी हुई है।

असमानता म वृद्धि मुद्रास्कात तथा बराजगारा (आर कम एलपाअस) का भी योगदान है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 से पता चलता है कि शीर्ष 10 फीसदी के पास कुल राष्ट्रीय आय का 57 प्रतिशत हिस्सा है। इस शीर्ष में 1 प्रतिशत के पास राष्ट्रीय आय का 22 फीसदी हिस्सा है जबकि नीचे के आधे लोगों के पास सिर्फ 13 प्रतिशत हिस्सा है। इस बजह भारत सबसे बड़ी असमान अर्थव्यवस्था में से एक है। राष्ट्रीय परिवर्तन स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अंकड़ों पर आधारित नीति आयोग की हालिया

2016-01-01 2016-01-01 2016-01-01 2016-01-01

रिपोर्ट बिहार, झारखण्ड तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में उच्च बहुआयामी गरीबी दरों की भी पुष्टि करती है। वास्तव में नीति आयोग के मानदंडों में आय शामिल नहीं है और यह शिशु मृत्यु दर, परिसंपत्तियों के स्वामित्व और शिक्षा जैसे मानदंडों पर निर्भर करता है। ओमिक्रान के अलावा मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, गरीबी एवं असमानता सहित बैंकों से ऋणों के उठाव की धीमी गति, निजी क्षेत्र से आने वाली बड़ी निवेश परियोजनाओं में भागीदारी के कम साक्ष्य और स्कूलों से छात्रों की निरंतर अनुपस्थिति जैसे चिंता के अन्य कारण हैं। स्कूली शिक्षा में दो साल के इस अंतराल का भारत के मानव पूँजी विकास पर दीर्घकालिक हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। सो, अगले साल की प्राथमिकताएं स्वयं ही स्पष्ट दिख रही हैं। सबसे पहले कठोर लांकडाउन का उपयोग किए बिना या जनता को धोखे में रखे बिना ओमिक्रान के लिए तैयार होना है। टीकाकरण की प्रगति को कायम रखते हुए इसे और तेज किया जाना चाहिए। दूसरा, स्कूलों में रोटेशन के साथ कम से कम 50 प्रतिशत छात्रों की उपस्थिति निश्चित करना। राष्ट्रव्यापी पोर्टेबल प्रशिक्षण योजना सहित कौशल व प्रशिक्षण को सरकार समर्थित मान्यता के साथ तत्काल शुरू किया जाना चाहिए। यदि कॉर्पोरेट क्षेत्र को प्रशिक्षितों को स्थायी रूप से काम पर रखने के बोझ से मुक्त किया जाए तो वे उन्हें आसानी से रोजगार देंगे। तीसरा, राष्ट्रीय आधारभूत संरचना की परियोजनाओं का निष्पादन शीघ्र शुरू हो। इन पर काम शुरू होगा तो सालाना 20 लाख करोड़ के करीब खर्च होगा जिसका नौकरियों के साथ-साथ सहायक और विक्रेता उद्योगों पर गुणक प्रभाव पड़ सकता है। चौथा, निरंतर निर्यात वृद्धि के लिए समर्थन सुनिश्चित करना। जीएसटी की जीरो रेटिंग बांधनीय है। कृषि निर्यात पर प्रतिबंध न लगाया जाए। वर्तमान में 13 क्षेत्रों पर लागू उत्तादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की सफलता सुनिश्चित करने के साथ उसका निर्यात सहायता के साथ सामंजस्य भी स्थापित करना चाहिए। भारत को बांग्लादेश से सीखना चाहिए जो एक दशक से अधिक समय से वस्त्र और कपड़ों के निर्यात पर लगातार ध्यान देने के साथ प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत से आगे निकल गया है। पांचवा, टैक्स के बोझ को तरक्सिंग बनाना है। जीएसटी जैसे अप्रत्यक्ष करों से अपीरों से कहीं ज्यादा गरीब प्रभावित होते हैं। कुल करों में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा घटने के कारण हम पछड़ गए हैं। इसे उलटना होगा, यानी करों में प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। ऐसा करने से बढ़ती असमानता पर भी रोक लगेगी। उम्मीद है कि हम अगले साल अर्थव्यवस्था को बढ़ाता हुआ देखेंगे। एक बार व्यापार और उपभोक्ता का भरोसा मिलने पर निजी निवेश में वृद्धि होगी ही। इसके लिए उपरोक्त नीतिगत आवश्यकताओं में से कुछ को लागू करना होगा और इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों की ओर से कार्रवाई की आवश्यकता है। हम सभी पाठकों को एक सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध 2022 की बधाई दे रहे हैं।

बाजार में विकती सुन्दरता

चैतन्य नागर

सौंदर्य प्रदर्शन के लिए प्रतियोगिताएं हो रही हैं और ऐसा भ्रम पैदा किया जा रहा है कि सिर्फ बाहरी सौंदर्य की बात नहीं हो रही, आंतरिक, वैदिक और भावनात्मक सौंदर्य की भी बात हो रही है। इसलिए कुछ उद्धिजीवी टाइप लोग इनमें जज बन जाते हैं। ये लोग इन सुंदरियों से भरा-भरा कुछ सवाल भी पूछते हैं, यह साधित करने के लिए कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना सारा वक्त और उर्जा बस अपनी त्वचा को चमकाने में बहाड़ी लगाया है। कुल मिलाकर पूर्ण सौंदर्य का एक बेवकूफी से भरा-भरा मेथक निर्मित किया गया है। इक्कीस साल बाद मिस यूनिवर्स - 2021 का खिताब भारत की हरनाज कौर सिन्धु ने जीता है। इससे पहले तारा दत्ता ने 2000 में यह खिताब जीता था। प्रतियोगिता का आयोजन उजरायल में हुआ था और अलग-अलग देशों की 80 युवतियों ने उसमें हिस्सा लिया था। इसका एक अजीब पहलू यह भी है कि सौंदर्य के बावजूद की जरूरत पड़ती है। स्त्री देह के सौंदर्य को लेकर हम इतने ननोग्रहीत हैं कि हमें पेड़-पौधों, नदियों, परिदंगों और जीव-जंतुओं में सौंदर्य को फैला कर दिखाता ही नहीं है। सीधी सी बात है, अरबों डॉलर के प्रसाधन उद्योग ने स्त्री को देह और देह को भोग की चीज में बद्दील कर दिया है और सौंदर्य को स्त्री और उसकी देह तक सीमित कर दिया है। स्त्री सौंदर्य को लेकर बड़ी विरोधाभासी सोच समाज में प्रचलित है। कहीं स्त्री को मात्र देह की तरह देखने का आग्रह और परंपरा है और कहीं प्रगतिशील बनने की चाह भी है, जो कहती है कि स्त्री मात्र शरीर नहीं। ऐसा नहीं है कि स्त्री देह में सौंदर्य नहीं, परंतु सौंदर्य वहीं तक सीमित नहीं है। उसकी देह के प्रति आवश्यकता से अधिक आकर्षण, हर चीज के विज्ञापन में उसकी देह के उपयोग से एक ऐसा माहाल तैयार हुआ है जिसमें हमने और कहीं सौंदर्य देखना ही छोड़ दिया है। स्त्री के सौंदर्य के साथ भोग की ओर सुखदी की एक दैहिक / भावनात्मक / जैविक आवश्यकता जुड़ जाने की वजह से बाजार ने उसका खुलकर उपयोग किया है। सुन्दर दिखना, दूसरों की तुलना में ज्यादा आकर्षक दिखना और खुद को समाज में सौंदर्य के बारे में प्रचलित धारणाओं के हिसाब से ढालना, यह बड़ी आम बात है। पक्षियों के पंख और चमकते पत्थरों से खुद को सजाने की गुफा में रहने वाले हमारे पूर्वजों की प्रवृत्ति से लेकर अति-आधुनिक नामधारी आधूषणों और कपड़ों की तड़प के भीतर तक एक ही मनोदश काम करती आई है।

क्या उनका कहना है कि यह अनजान में माता-पता से मिला एक

उजहा हाता ह, एक इस वाज पिसक भार न माता-पिता ना पहले निश्चित नहीं होते। पीढ़ियों से संप्रेषित हो रहे लाखों-करोड़ों जींस में कौन से जींस मिलकर एक अनठा कॉम्बिनेशन बनापड़े कि एक खूबसूरत शक्त निकल आएगी, किसकी पता है और अगर पता भी हो तो क्या अगर माता-पिता दोनों ही खूबसूरत हों और यह तय हो कि उनवाले कोशिकाओं में खूबसूरती पैदा करने वाले ही जींस हैं तो भी क्या उनके इन जींस की वजह से सुंदर पैदा हुई उस संतान को इसी वजह जिंदगी भर तारीफ क्यों मिले इसमें उसका क्या निजी योगदान है, कैसे मेहनत है, कौन सी प्रतिभा है जिस तरह चांद की खूबसूरती सूरज व रोशनी की मोहताज है, उसी तरह किसी भी खूबसूरत चेहरे के लिए उसके माता-पिता से मिले जींस जिम्मेदार हैं। स्त्री के सौंदर्य का मिथक बहुत गहरा और पुराना है। इस मिथक पर पूरी दुनिया का करीब 3 अरब डॉलर का प्रसाधन उद्योग टिका हुआ है। आप बूढ़े न दिखें इसमें लिए हजारों वैज्ञानिक आपकी झुर्रियां छिपाने में लगो हैं। हमारी त्वरण पर लगने वाली क्रीम हमें तुकसान न पहुंचाए इसके लिए छोटे-छोटे निरीह पशुओं पर उनका परीक्षण किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। स्त्री को सुन्दर दिखाना, उसे सौंदर्य के प्रतीक के रूप में सामाजिक रखना, उसे भोग के एक साधन के रूप में देखना, क्योंकि उस पर अरबों रुपये खर्च किये जा रहे हैं, यह पूँजीवाद द्वारा पोषित एक बहुबड़ा मिथक बन चुका है।

बुद्धिजीवी टाइप लोग इनमें जज बन जाते हैं। ये लोग इन सुन्दरियों कुछ सवाल भी पूछते हैं, यह साक्षित करने के लिए कि ऐसा नहीं है फिर इन्होंने अपना सारा वक्त और उर्जा बस अपनी त्वचा को चमकाने में बढ़ा लगाया है। कुल मिलाकर पूर्ण सौंदर्य का एक बेवकूफी से भरा मिथ्या निर्मित किया गया है और करोड़ों की तादाद में स्त्रियों को भरमाया जा रहा है। साथ ही पुरुषों को भी, हालांकि वे तो पहले से ही इस मामले में भ्रमित चल रहे हैं! जब हम सौंदर्य की बात करते हैं तो क्या चमड़े के चिकनेपन, बालों की चमक, उभरों के सही नाप-जोख और उसवास सही जगह की ही बात करते हैं यदि आपतथाकथित रूप से सुन्दर असुंदर पैदा हुए हैं, पैसे वाले हैं और सही ढंग से अपना रख-रखाकरन के गुरु सीख लिए हैं तो आप सुन्दर हैं आप विपीरी सेक्स वालों के अंदर एक हलचल और एक उत्तेजना पैदा करते हैं, एक कुंठा पैदा कर दें तो आप बड़े सुंदर इंसान हैं, ऐसा मान लिया जाए या फिर सौंदर्य में कुछ ऐसी चीजें भी शामिल होनी चाहिए जिसे मापा-तौला नहीं उसकता। उदाहरण के लिए आपकी संवेदनशीलता, कुदरत के साथ आपका रिश्ता, बच्चों की परवरिश के बारे में आपके ख्याल, बढ़ा

हता के जार में आपके पवित्र पराह-पारा। निस बूनपस्त सुन्दर है, पर खेतों में दिन-रात खटने वाली, अपने बच्चे को घर पर छोड़कर मेहनत से चार पैसे कमाने वाली क्या सुन्दर नहीं है क्या सड़क पर उत्तरकर आम लोगों के सवालों को लेकर लड़ने वाली मेधा पाटकर या बरसों अनशन पर बैठी इरोम शर्मिला सुन्दर नहीं हैं एक सड़े-गले समाज में थोड़ी-बहुत समझ पैदा करने की कोशिश करने वाले लोग एक अलग पर बहुत गहरे अर्थ में सुन्दर हैं। स्त्री सौंदर्य की पूरी अवधारणा पश्चिमी भौतिकवाद, पूजीवाद और जड़वाद की उपज है, जिसके पीछे खरीद-फरीख, झूठी उत्तेजना और एक क्रूर संस्कृति, खोखले रिश्तों की सच्चाई छिपी हुई है। सौंदर्य का पूरा विचार ही गलत हो गया है, सिर्फ शारीरिक सुन्दरता तक सीमित रह गया है। काशी में हूं और ठीक सामने है, मणिकर्णिका जहां कुछ समय पहले तक सुन्दर रही कई देहें राख में तब्दील हो रही हैं। बेवकूफी इस बात में है कि इंसान खुद को इस पूरी सृष्टि का केंद्र मानता है। आप किसी चिड़िया को देखें गौर से, किसी दरखतब को देखें, उसकी एक-एक पत्ती को देखें। उसकी गरिमा, उसकी विनम्रता, उसकी नश्वरता को देखें, उसके मौन को छुएं, इंसान का अहंकार से भरा सौंदर्य उसके सामने कुछ नहीं। वह सिर्फ बाजारू चीज बनकर रह गया है, प्रसाधन उद्याग चलाने का एक माध्यम, झूठी उत्तेजना पैदा करने का एक तरीका, दूसरे लोगों को अ-सुन्दर कहने का एक बहाना। हम उनका सौंदर्य भी देखें जो एक भ्रष्ट सिस्टम में बरसों तक पढ़-लिखकर भी दे वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहे, उनका सौंदर्य देखिये जिन्हें कभी आइना देखने का समय भी नहीं मिलता।

वे सामान्य अर्थ में इसलिए सुन्दर नहीं बन पा रहीं, क्वोटिक चंद धन-पशु इसानों ने बाकी चीजों की तरह सौंदर्य को भी एक चीज में तब्दील कर दिया है जिसे केमिकल्स और जिम की मशीनों से खरीदा और बेचा जा सकता है। कभी हो सके तो हम धरती के दुःख का अनुभव करें। यह दुःख सर्दी-गर्मी से बेहाल गरीबों का है, उस दुनिया का जिसकी आधी दौलत सिर्फ कुछ लोगों के पास है; दुःख उस दुनिया का जहां सिर्फ एक साल शस्त्र न बनाये जाएं तो हर इंसान के पास रोटी कपड़ा और मकान होगा; उस दुनिया का जहां अनाज की करोड़ों बोरियां फूंक दी जाती हैं और बड़ी तादाद में लोग भूखे मरते हैं। यह दुःख उन बच्चों का है जिन्हें ऐसी शिक्षा मिलती है जो उनके किसी काम की नहीं होती। उन्हें ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। जहां पशुओं को सिर्फ स्वाद के लिए बेरहमी से कल्प कर दिया जाता है। इन दुखों को देखने वाली संवेदनशीलता में वास्तविक सौन्दर्य है। असली सौंदर्य तो है खुद से और साधन संपन्न लोगों से इन सवालों को पूछने में। इनसे बच कर कोई कैसे सुन्दर हो सकता है और खुद को सुन्दर मान सकता है

सुरेह कमार

की लड़कियों से और हाशिये में खड़ी समुदायिक महिलाओं से लेकर शहर की शिक्षित लड़कियों तक से विचार विमर्श करके अपनी रिपोर्ट तैयार की।

और सर्वसम्मति से देश की नौजवान युवतियों के लिए भी शादी की उम्र को लड़कों के समान न्युनतम 21 वर्ष करने का प्रस्ताव तैयार किया। जिस पर सरकार ने गहनता से विचार विमर्श किया और गत सप्ताह प्रस्ताव को बिनेट मे पारित करके एक क्रांतिकारी बदलाव पर अपनी मोहर लगाई। यह कहना भी तर्क संगत नहीं होगा कि देश मे अबतक विवाह कानून मे बदलाव नहीं हुए हैं। देश मे सर्वप्रथम वर्ष 1929 मे शारदा एक्ट के तहत विवाह की उम्र न्युनतम 15 वर्ष निर्धारित की थी। जिसे लगभग पांच दशक तक अपनाया गया। वर्ष 1978 मे इसमें संशोधन करके देशवासियों के लिए शादी की आयु न्युनतम 18 वर्ष की गई। और आज तक हम इसी कानून के तहत शादी कर रहे हैं। हालांकि वर्ष 2006 मे सरकार ने इसमें बाल विवाह निषेध कानून को नोडा था। अब दिसम्बर 2021 मे पुनः एक लंबे असे के उपरांत विवाह कानून मे संशोधन करने की कवायद शुरू हुई है। यदि सरकार संसद मे देश के विवाह कानून मे संशोधन विधेयक को पारित करने मे सफल रहती है तो वह वर्तमान सरकार का दूसरा बड़ा वैवाहिक सुधार माना जाएगा।

इससे पूर्व भी मोदी सरकार ने एनआरआई मैरिज को 30 दिन के अंदर

पंजीकृत करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया था। जिसकी मांग देशवासी दशवर्ष से कर रहे थे। विधेयक के पारित होने पर सरकार बाल विवाह निषेध कानून 2006 में संशोधन करने के साथ साथ सरकार इंडियन क्रिंशियन मैरिज एवं 1872, पारसी मैरिज एवं डिवोर्स एक्ट 1936, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 अंत हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के नियमों में भी परिवर्तन कर सकेगी। भारत में विवाह कानून से संबंधित आंकड़े आज आजादी के सात दशक बीत जाने उपरांत भी सहज नहीं है। आंकड़ों को देखकर ताज्जुब होता है कि भारत आज भी विवाह संबंधित अनेकों भ्रातियां विद्यमान हैं। यहाँ आज भी बेटियां की बढ़ती उम्र अभिभावकों के लिए बोझ सी प्रतीत होती है। अभिभावकों व एक बड़ा हिस्सा आज भी लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ है। उन्हें आज पुण्य सी मुस्कराती बिट्या एक उपभोग वस्तु प्रतीत होती है। इसके अलावा यह भी देश की विडम्बना है कि यहाँ कड़े विवाह कानून की मौजूदाती चलते भी बाल विवाह जैसी घिनौनी घटनाएं घट जाती है। प्रशासन अनेकों प्रावधानों के बावजूद भी यहाँ वर्ष में हजारों बाल विवाह होते हैं। इसके लिए जिमेदार कारक चाहे जो भी हो परंतु अज्ञानता और गरीब आई भी हमारी वैवाहिक संरचना को पंग बनाने पर तुलू है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वें-5 के अनुसार देश में 18 साल से पहले लड़कियों की शादी करने की रज्जाहाँ वर्ष 2015-17 के दौरान लगभग 27 फीसदी थी वही वर्ष 2019-21 दौरान इसमें आशिक मुधार के साथ दर लगभग 23 फीसदी तक घटी है। उहर हर दृष्टि से नाकाफी है। ऑक्सफेम इंडिया के जेंडर जस्टिस विशेषज्ञ अभिय

पितेर का मानना है कि भारत में अभी भी लगभग 50 से 60 फीसदी शादियाँ 21 वर्ष की उम्र से पूर्व हो जाती है। यह बात आज भी हम सबको झकझोर रही है। इसी तरह यूनिसेफ के मुताबिक भारत में हर साल 15 लाख लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हो जाती है। इनमें ही नहीं जनगणना महापंजीयक के आंकड़ों के अनुसार देश में 18 से 21 वर्ष के बीच शादी करने वाली युवतियों की संख्या करीब 16 करोड़ है। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि देश में विवाह कानून में संशोधन कितना जरूरी है। यदि सरकार देश के विवाह कानून में बदलाव करने में सफल रहती है तो इससे भारत को अनेकों फायदों हासिल हो सकते हैं। देश में शादी के ग्राफ में भारी गिरावट आने से देशवासियों को अनेकों सहुलियतें हासिल हो सकती है। विवाह में देरी का देश के परिवारों, महिलाओं, बच्चों और समाज के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य पर कारगर असर दिखाई देगा। इसी प्रकार विवाह कानून संशोधन विधेयक पारित होने से देश में जेंडर जस्टिस को बढ़ावा मिलेगा, लड़कियों को पढ़ने लिखने व फलने फुलने को समान अवसर मिलेंगे, बेटियों को कुपोषण से निजात मिलेगी। विवाह कानून में बदलाव से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा मिलेगा, राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा तथा साथ ही ग्रामीण व शहरी युवतियों में समानता का भाव और विभिन्न समुदाय के लोगों में एकरूपता की भावना जागृत होगी।

देश/विदेश संदेश

गुरु पर्व समारोह में पीएम मोदी ने कहा

सिख गुरुओं की महान तपस्या के कारण भारत की अखंडता आज तक सुरक्षित

नई दिल्ली। पीएम ने देश मोदी गुजरात के कच्चे के गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व समारोह को बीड़ियों का-प्रॉफेसर के जरिए संबोधित किया है। बता दें कि हर साल 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक की सिख संगठ गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी का गुरु पर्व मानी रही है। इस पवित्र मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि गुरुद्वारा लखपत साहिब समय की हर गति का साक्षी रहा है।




आज जब मैं इस पवित्र स्थान से जुड़ रहा हूं, तो मुझे याद आ रहा है कि अतीत में लखपत साहिब ने कैसे ज़िश्यावातों को देखा है। एक समय ये स्थान दूसरे देशों में जाने के लिए घुटावार के लिए प्रसुख के द्वारा था। 2001 के

भूकम्प के बाद मुझे गुरु कृपा से इस पवित्र स्थान की सेवा करने का सोचा भिला था। मुझे याद है, तब देश के अलग-अलग हिस्सों से आए शिल्पियों ने इस स्थान के मौलिक गौरव को संरक्षित किया। मोदी ने कहा कि गुरु नानकदेव जी का सदैरा परी दुनिया तक नहीं जाने के साथ पहुंचे। यानि ये वापस लगाए जाने के लिए और प्रसुख के द्वारा था। 2001 के

सकता है उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले जब मैं अमेरिका में गया था, तो वहां अमेरिका ने भारत को 150 से ज्यादा ऐतिहासिक वस्तुएं लौटाई। इसमें से एक पेशकच्च या छोटी तलवार भी है, यानि पर फारसी में गुरु हरगोविंद जी का नाम लिखा है। यानि ये वापस लाने का सोचा भिला भी हमारी ही साक्षर को मिला। पीएम मोदी ने कहा कि गुरु नानक देव जी और उनके बाद हमारे अलग-अलग गुरुओं ने भारत की चेतना को तो प्रज्ञान रखा है, भारत को भी सुरक्षित रखने का वापस लाना। हमारे गुरुओं का योगदान के बाल भारत और आध्यात्म तक ही समित नहीं है। बल्कि हमारा राष्ट्र, राष्ट्र का चिंतन, राष्ट्र की आस्था और अखिलान आगर आज युरुषित रहता है, तो उसके भी मूल में सिख गुरुओं की महान तपस्या है। यानि तरह, दशम गुरु, गुरुगोविंदन सिंह साहिब का जीवन का एक जीता जाता उदाहरण है। अंग्रेजों के शासन में भी हमारे सिख भाइयों बढ़ने ने जिस वीरता के लिए संघर्ष किया, हमारा आजादी का धरती, जलियांवाला बांग की ओर वर्ती, आज भी उन बलिदानों की साक्षी है।

रहे, वो हमें भारत की आत्मा के दर्शन करता है। जिस तरह देश ने उन्हें ड्यूलिन्क की चादरक की पतवी दी, वो हमें सिख पंथरा के प्रति हर एक भारतवासी के जुड़ाव को दिखाता है। उन्होंने अगे कहा कि औरंगजेब का विलाक गुरु तेग बहादुर का प्राक्रम और उनके बलिदान हमें सिखाता है कि आतंक और मजहबी कटूरता से देश को कैसे लड़ता है। इसी तरह, दशम गुरु, गुरुगोविंदन सिंह साहिब का जीवन का एक जीता जाता उदाहरण है। अंग्रेजों के शासन में भी हमारे सिख भाइयों बढ़ने ने जिस वीरता के साथ देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, हमारा आजादी का धरती, जलियांवाला बांग की ओर वर्ती, आज भी उन बलिदानों की साक्षी है।

कर्नाटक में भी लगेगा नाइट कफ्टू सीएम बोम्मई बोले- आज को बैठक के बाद लेंगे फैसला



नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतारी के बाद कई राज्यों में पार्वतीयों कड़ी कर दी गई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने नाइट कफ्टू लगाए जाने के बाद कर्नाटक में भी जल्द पार्वतीयों कड़ी की जाएगी।

राज्य में कोरोना वार्डों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुवर्मा को अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की जाएगी। इस बैठक में नाइट कफ्टू लगाने को लेकर कैसला किया जाएगा। बोम्मई

ने कहा, देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, केरल के साथ-साथ तमिलनाडु में भी काविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। इसमें मैं चिंतित हूं। अगर सक्रियों को महत्वपूर्ण लोगों के साथ चर्चाकरण करना और वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगले कदम पर फैसला करना। नाइट कफ्टू लगाए जाने के अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की जाएगी। इस बैठक में नाइट कफ्टू लगाने को लेकर कैसला किया जाएगा। बोम्मई

विज्ञापनों के लेकर केजरीवाल पर बरसे अमित शाह, कहा- दिल्ली वालों को पता है कौन विकास कर रहा है



नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार की ओर से दिए गए मीडिया विज्ञापनों पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। अमित शाह ने शनिवार को कहा कि राजस्थानी के लोगों को एक्सेस हो गया है कि वास्तव में विकास का काम कौन करता है और कौन केवल बातें करता है। दीक्षिण दिल्ली के निरामय (एसडीएली) के ओर से कटाक्ष की जाएगी।

मंत्री ने कहा कि देश में दो तरह की वर्क कल्चर है। उन्होंने अगे कहा एक वो जो लोगों को मुफ्त टीके उपलब्ध कराने, प्रशासनिक सुधार लाने, नई शिक्षा नीति लाने, शहरी विकास कार्यक्रम शुरू करने, एवं अनुरूपान संस्थान झूमी प्रयागराज उत्तर प्रदेश 211019 से प्रकाशित एवं विपिन इंटराइजेज 1/6C माधवकुंज, कटरा प्रयागराज से मुद्रित।

मुद्रक/प्रकाशक

स्वामी श्री योगी सत्यम योग सत्यं समिति पी.आर.बी.एस के अंतर्गत समाजावारों के चर्चन के लिए उत्तरदाता है। इस समाजावर पत्र में प्रकाशित समस्त समाजावारों से संबंधित विवादों का न्याय क्षेत्र प्रयागराज होगा। UPHIN 29506

को कुपचय अंजाम देते हैं। और दूसरा

कृपाली विकासी के लिए दिल्ली के नगर निकायों की विकास कार्यक्रम उत्तरवाची देश में विकास का काम कौन करता है एवं देश के निकायों के नेतृत्व वाली आप सरकार ने तीनों नगर निगमों को उके

कर्तव्यानुभावी कार्यक्रमों के लिए दिल्ली के नगर निकायों की विकास कार्यक्रम उत्तरवाची देश में विकास का काम कौन करता है एवं देश के निकायों के नेतृत्व वाली आप सरकार ने तीनों नगर निगमों को उके

कर्तव्यानुभावी कार्यक्रमों के लिए

दिल्ली के लोगों ने याद देश में विकास का काम कौन करता है एवं देश के नि�कायों के नेतृत्व वाली आप सरकार ने तीनों नगर निगमों को उके

कर्तव्यानुभावी कार्यक्रमों के लिए

दिल्ली के नगर निकायों की विकास कार्यक्रम उत्तरवाची देश में विकास का काम कौन करता है एवं देश के निकायों के नेतृत्व वाली आप सरकार ने तीनों नगर निगमों को उके

कर्तव्यानुभावी कार्यक्रमों के लिए

दिल्ली के नगर निकायों की विकास कार्यक्रम उत्तरवाची देश में विकास का काम कौन करता है एवं देश के निकायों के नेतृत्व वाली आप सरकार ने तीनों नगर निगमों को उके

कर्तव्यानुभावी कार्यक्रमों के लिए

दिल्ली के नगर निकायों की विकास कार्यक्रम उत्तरवाची देश में विकास का काम कौन करता है एवं देश के निकायों के नेतृत्व वाली आप सरकार ने तीनों नगर निगमों को उके

कर्तव्यानुभावी कार्यक्रमों के लिए

दिल्ली के नगर निकायों की विकास कार्यक्रम उत्तरवाची देश में विकास का काम कौन करता है एवं देश के निकायों के नेतृत्व वाली आप सरकार ने तीनों नगर निगमों को उके

कर्तव्यानुभावी कार्यक्रमों के लिए

दिल्ली के नगर निकायों की विकास कार्यक्रम उत्तरवाची देश में विकास का काम कौन करता है एवं देश के निकायों के नेतृत्व वाली आप सरकार ने तीनों नगर निगमों को उके

कर्तव्यानुभावी कार्यक्रमों के लिए

दिल्ली के नगर निकायों की विकास कार्यक्रम उत्तरवाची देश में विकास का काम कौन करता है एवं देश के निकायों के नेतृत्व वाली आप सरकार ने तीनों नगर निगमों को उके

कर्तव्यानुभावी कार्यक्रमों के लिए

दिल्ली के नगर निकायों की विकास कार्यक्रम उत्तरवाची देश में विकास का काम कौन करता है एवं देश के निकायों के नेतृत्व वाली आप सरकार ने तीनों नगर निगमों को उके

कर्तव्यानुभावी कार्यक्रमों के लिए

दिल्ली के नगर निकायों की विकास कार्यक्रम उत्तरवाची देश में विकास का काम कौन करता है एवं देश के निकायों के नेतृत्व वाली आप सरकार ने तीनों नगर निगमों को उके

कर्तव्यानुभावी कार्यक्रमों के लिए

दिल्ली के नगर निकायों की विकास कार्यक्रम उत्तरवाची देश में विकास का काम कौन करता है एवं देश के निकायों के नेतृत्व वाली आप सरकार ने तीनों नगर निगमों को उके

कर्तव्यानुभावी कार्यक्रमों के लिए

दिल्ली क